

प्रेसनोट दिनांक 11.04.2021

1. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री स्वतन्त्र कुमार मौर्या थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरयू नदी मांझा में शराब बनाना मौके से 02 लोहे का ड्रम, 12 अदद प्लास्टिक पाइप, 12 अदद गगरा, 02 अदद प्लास्टिक के डब्बे, 02 पिपिया में रखा करीब 60 लीटर शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 178/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि देव पत्तर मांझी पुत्र राम रूप मांझी नि0 गोडियाना तिहुरा मांझा थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 195/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि महेश दूबे पुत्र गौरी शंकर नि0 ऐमी आलापुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद, 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 अदद अर्द्ध निर्मित तमंचा व तमंचा बनाने का उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 125/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 10.04.21 को वादी का0 धर्मन्द्र सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामपाल उर्फ पाले पुत्र छेदी प्रसाद नि0 मड़ना थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 126/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इन्द्रपाल प्रधान पद प्रत्याशी खानपुर पुनहद थाना महाराजगंज अयोध्या व 5-6 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा अनधिकृत रूप से मत पत्र बांटना व पोस्टर चिपका कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 127/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रमेश कुमार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी अरविन्द कुमार उर्फ छोटू पुत्र शत्रुघ्न प्रसाद नि0 पिलखांवा थाना रौनाही अयोध्या व 30-40 व्यक्ति नाम पता अज्ञात अभि0गण द्वारा बिना अनुमति के रैली निकालते हुए सार्वजनिक स्थान पर जनसभा करते हुए आदर्श आचार संहिता व कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 162/21 धारा 188, 171एच, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रंजीत पुत्र राम बहादुर नि0 रहीमपुर बदौली थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 163/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रियाज अली पुत्र मो0 हनीफ नि0 सौरी पिरखौली थाना रौनाही अयोध्या व 50 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा बिना अनुमति के रैली निकालना व सार्वजनिक सभा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 164/21 धारा 188, 171एच, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश गौतम पुत्र बिहारीलाल नि0 सारंगापुर थाना रौनाही अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्राथमिक विद्यालय सारंगापुर के दीवाल पर बिना प्रिन्टिंग प्रेस के नाम का चिपकाकर प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 165/21 धारा 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिनन्दन पाण्डेय थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि डक्कू पुत्र हरीराम निषाद नि0 बैतीकला थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 171/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
11. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिनन्दन पाण्डेय थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अशाफाक पुत्र निजामुद्दीन गिर0 2. मो0 ताज पुत्र जलालुद्दीन गिर0 नि0 भरहूखाता थाना को0बीकापुर अयोध्या आदि 10 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देशी शराब का वितरण करना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना, मौके से 311 शीशी 200 एमएल की आरेंज ब्राण्ड देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 172/21 धारा 188, 171एच, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 व 60 आबकारी अधि0 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 10.04.21 को वादी श्री कुलदीप दूबे पुत्र विजय दूबे नि0 महोली थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरूण यादव पुत्र राममुर्ति नि0 अज्ञात अभि0 द्वारा ट्रक सं0 यूपी 42 बीटी 8491 को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटे आना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 173/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री उमेश कुमार वर्मा थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हीरालाल पुत्र राम टहल नि0 जंगल का पुरवा सराय धनेठी थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 132/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
14. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इन्द्रजीत पुत्र कामाख्या नि0 बिड़हर थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 05 नफर अभि0गण द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए ग्राम प्रधान का प्रचार करना तथा कब्जे से 140 चुनावी पोस्टर बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 176/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
15. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इन्द्रजीत पुत्र कामाख्या नि0 बिड़हर थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 200 एमएल की 11 शीशी देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 177/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
16. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील कुमार पुत्र भवानीभीख नि0 बिड़हर थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 200 एमएल की 11 शीशी देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 178/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
17. दिनांक 10.04.21 को वादी श्री श्याम पुत्र वीर सिंह नि0 खिलौना थाना कायमगंज फर्रुखाबाद द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वाहन संख्या एनएल 0एन 7950 ट्रक में टक्कर मार देना जिससे वादी के भाई को चोटे आना व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना तथा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 179/21 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
18. दिनांक 10.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुशीर पुत्र शब्बीर नि0 मांजनपुर थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 95/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।